RAJYA SABHA

Thursday, the 23rd December, 1999/Pausa 2, 1921 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **The Deputy Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कामगारों के काम के घंटे

*361. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न महानगरों में न्यूनतम मजदूरी से संबंधित कानूनों को लागू करने वाला कोई नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश कारखानों में मजदूर 12 घंटे तक कार्य करते हैं और उनका मासिक वेतन हजार रुपये या बारह सौ रुपये मात्र है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

न्यूनतम मजदूरी, अनुसूचित नियोजनों के संबंध में निर्धारित की जाती है जिन्हें इस प्रकार सम्बन्धित समुचित सरकारों अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाता है। अब तक 44 अनुसूचित नियोजनों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है जबकि 1152 अनुसूचित नियोजन राज्य सरकारों द्वारा और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। सभी अधिसूचित अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न होने अथवा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान होने की स्थिति में, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावे प्रस्तुत करने का प्रावधान है। अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकार द्वारा निरीक्षण नियुक्त किए जाते हैं। ये उपबंध महानगरों सहित देश के सभी भागों में विस्तारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) कारखाना अधिनियम में दैनिक और साप्ताहिक दोनों के लिए वयस्कों हेतु कार्य घंटों से संबंधित प्रावधान है। इस कानून के उपबंधों के अनुसार किसी भी वयस्क कर्मकार से कारखाना में दैनिक 9 घंटों और साप्ताहिक 48 घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि एक कर्मकार से एक दिन में 9 घंटों और सप्ताह में 48 घंटों से अधिक कार्य कराया जाता है तो वह अपनी साधारण मजदूरी दर से दोगुना मजदूरी प्राप्त करने का/की हकदार है। राज्य सरकारों ने कारखाना निरीक्षणालयों की स्थापना की है और निरीक्षक भी नियुक्त किए हैं और उन्हें कार्य घंटों के विनियमन सहित कारखाना अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के प्रवर्तन कराने के लिए उत्तरदायी भी बनाया है। जब भी न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न किए जाने अथवा निर्धारित कार्य घंटों से अधिक कार्य लिए जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अथवा कारखाना अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक द्वारा जांच की जाती है और जांच निरीक्षक तथा अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से कानूनी राहत प्रदान करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। साथ ही, संबंधित श्रम कानूनों के अन्तर्गत चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ कानूनी और दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाती है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में श्रम कानूनों के अनुपालन न किए जाने संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय और आंचलिक दोनों स्तर पर आयोजित होने वाले श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाता है और दिशानिर्देश निर्गत करने सहित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। नियोजन के किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक खास समय में श्रम कानूनों के उल्लंघन के बारे में बड़े पैमाने पर शिकायतों के मामले में, केन्द्र और राज्य दोनों क्षेत्रों में श्रम कानून प्रवर्तन तंत्र के अधिकारियों द्वारा विशेष अभियान चलाए जाते हैं।

Working Hours for Workers

*†361. SHRI JANESHWAR MISRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no one to implement laws regarding minimum wages in different Metropolitan cities;

(b) whether it is also a fact that in most of the factories, workers work upto 12 hours and their monthly wages are a thousand or twelve hundred rupees only; and

(c) if so, the action being taken by Government to implement the labour laws?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) No, Sir.

Minimum wages are fixed in respect of scheduled employments which are notified as such under the Minimum Wages Act by the respective appropriate Governments, *i.e.*, Central & State Govt. So far, 44 scheduled employments have been notified by the Central Government while 1152 scheduled employments have been notified by the State Governments & UTs. Minimum wages have been fixed in respect of all the notified scheduled employments. In the event of non-payment of minimum wages or payment less than the minimum wages, Minimum Wages Act provides for filing of claims within the prescribed time limit before the authority notified by the appropriate Government. Inspectors are appointed by the appropriate Government for enforcement of other provisions of the Act. These provisions have been extended to all parts of the country including metropolitan cities.

(b) and (c) Factories Act deals with working hours for adults both for a day as well as for a week. According to the provisions of this law, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 48 hours in any week or for more than 9 hours in any day. In case a worker is made to work for more than 9 hours in a day or 48 hours in a week he/she is entitled to receive wages twice his/her ordinary rate of wages. The State Governments have set up Inspectorates of Factories and have also appointed inspectors and have made the same responsible for enforcement of the various provisions of the Factories Act including regulation of working hours. As and when complaints are received from the aggrieved workmen regarding non-payment of minimum wages or for working beyond the prescribed working hours, the complaints are examined by the inspectors appointed as such under the Minimum Wages Act or the Factories Act, as the case may be, and necessary steps taken to provide statutory relief through investigation, inspection and follow up action. Simultaneously, legal and penal action against the defaulting employers under the relevant labour laws are also taken. The issue pertaining to non-observance of labour laws in the Central and State sphere is also discussed in the Labour Ministers' Conferences held both at the national level as well as zonal level and corrective

action including issue of guidelines is taken. In case of large scale complaints on violation of labour laws in any particular sector of employment at a particular point of time, special drives are launched by the officers of the labour laws enforcement machinery in both Central as well as the State sphere.

श्री जनेश्वर मिश्रः माननीया उपसभापति महोदया, इधर देश में मजदूरों की हालत बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। देश के कई महानगरों में मजदूरी न्यूनतम से भी कम है। जो लोग घरों में काम करते हैं । छोटे छोटे कल-कारखानों में काम करते हैं, कहीं कहीं पर एक हजार रुपये प्रति मास पर काम करते हैं या उससे भी कम पर। मंत्री जी ने जवाब में हमको नियम बताया है और जो विवरण सभा पटल पर रखा है, उसमें यह बताया है कि कैसे-कैसे, किस तरह से न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है। लेकिन ज़मीन पर जिसको हकीकत कहते हैं, वह अलग दर्शाती है। यह हालत बिगड़ी है तथा और बिगड़ने की आशंका है, चाहे वामपंथी हों, दक्षिणपंथी हों या कोई और हो। अभी विश्व व्यापार के सिलसिले में जो होड़ मची है कि हम भी दुनिया के बाज़ार में बराबरी के दर्जे पर जाएं और शेखी बघारी जा रही है कि हम मजदूरों के समान मानक के बारे में अमरीका की धौंस नहीं मानेंगे, हम को भी अच्छा लगा कि दुनियां के महाप्रभु के सामने विकासशील देशों ने चुनौती दी है। कमज़ोर आदमी मजबूत के सामने ताल ठोकता अच्छा लगता है लेकिन हम अपने ही देश में अपने मजदूरों के बारे में बहस कर रहे है। क्या यह सच नहीं है, मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि इस देश के महानगरों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी मजदूरों की हालत बहुत ही खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला दिया था कि कम से कम 85 रुपये न्यूनतम मजदूरी मजदूरों की होनी चाहिये। यह फैसला नहीं, सिफारिश थी सरकार को, इसलिए मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को सरकार मानेगी और इस समय न्यूनतम मजदूरी कितनी है क्योंकि जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, उस कागज़ में कुछ भी नहीं लिखा है? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को क्या सरकार मानेगी, यह मेरा पहला सप्लीमेंटरी है?

डा० सत्यनारायण जटियाः माननीया उपसभापति जी, जैसे कि माननीय जनेश्वर मिश्र जी ने कहा यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर है कि 85 रुपये न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिये। किन्तु जहां तक न्यूनतम मजदूरी का सवाल है इसके लिए दायरे तय किये गये हैं। उन इंपलायमेंट के दायरों में 1152 दायरे राज्य सरकारों के अन्तर्गत हैं और 44 दायरे केन्द्र सरकार के अन्तर्गत हैं। जो राज्य सरकारों के दायरें हैं, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स कंपीटेंट हैं और 44 इंपलायमेंट के दायरों के लिए केन्द्र सरकार कंपीटेंट है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का मसला है, यह सिफारिशें हैं और राज्य सरकारों को या कंपीटेंट गवर्नमेंट्स को मंजूर करनी हैं, यह सही बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर कहा है कि न्यूनतम मजदूरी देने की दृष्टि से जो न्यूनतम सीमा तय है, उसके अनुसार मजदूरी देने का काम करें। अभी जो प्रश्न उठाया गया

है अमरीका का और जो सियेटल में बात हुई निश्चित रूप से यह बात सच है अंतर्राष्ट्रीय संगठन सारी बातों के लिए कंपीटेंट है, वह बात करेगा। आपने शहरों के बारे में मजदूरी पूछी है। उसकी दरें मेरे पास हैं। न्यूनतम मजदूरी जो दिल्ली की सरकार ने तय की है वह 108.36 रुपए है। मुम्बई में जो प्रस्तावित है, अभी जो आंकड़ें मुझे मिले हैं उसमें 42.46 रुपए से लेकर 85.92 रुपए तक है। यह जो वैरिएशन है दरों का वह इसलिए है कि स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और नान-स्किल्ड आदि कामों के लिए ये दरें हैं। इसलिए वैरिएशन है। कलकत्ता के लिए जो आंकड़े जनवरी, 1999 से मेरे पास उपलब्ध हैं उसमें 36.55 रुपए से लेकर 79.99 रुपए तक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार 22.40 रुपए से लेकर 82.72 रुपए तक है।

श्री जनेश्वर मिश्रः मैडम, मैं कहना चाहता था कि हकीकत में जो न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को दी जा रही है वह बहुत ही कम है। राज्य सरकारों की तरफ से जो रिपोर्ट आई, मंत्री जी ने उसको बता दिया और हमने सुन भी लिया है। केंद्र सरकार के भी प्राधिकरण है। केंद्र सरकार के अधीन बहुत से प्राधिकरण हैं। हम कई प्राधिकरणों को जानते हैं, सरकार में रहते हुए भी जानते थे कि डेढ़-डेढ़ साल से उन सबको तनख्वाह ही नहीं दी गयी है और वे भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो कोई भी फैक्ट्री में काम करता हो उसको महीने की पहली तारीख को तनख्वाह दे दी जाए और जो न दे उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। डेढ़ साल से वाटर रिसोर्सेज का एक कन्सर्न तनख्वाह ही नहीं दे रहा है। मजदूर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। पिछले दिनों-5-6 साल पहले मैं संजय गांधी हस्पताल में भर्ती था। वहां ठेकेदार के मजदूर होते हैं जो सफाई करते हैं। हस्पताल में सफाई देखने में बहुत बढ़िया लगती है। तीन बार सफाई होती है। हमने पूछा कि कैसे हैं? कहा कि हम ठेकेदार के हैं। हमारी मजबूरी है। हमको निकाल देंगे। हमने कहा कि कितने देते हैं? बोले 500 रुपए महीना। हम नहीं जानते कि लखनऊ की सरकार ने आपको क्या रिपोर्ट दी है। लेकिन हम जानते हैं कि ठेकेदारी प्रथा के जरिए मजदूरों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। इस प्रथा को समाप्त कराने के लिए या उस विभाग में जो मजदूरी का रेट है वही रेट ठेकेदारी प्रथा में भी दिया जाए, इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? एक तो मेरे सप्लीमेंट्री का यह "अ" हिस्सा है और "ब" हिस्सा है कि मैडम, क्या यह सच नहीं है कि जो संगठित कारखानें हैं, संगठित क्षेत्र हैं वहां के मजदूरों को जो डीयरनेस एलाउंस दिया जाता है वह असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नहीं दिया जाता है? क्या इन दोनों को भी बराबर किया जाएगा?

डा. सत्यनारायण जटियाः माननीय उपसभापति जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि वाटर रिसोर्सेज और ठेकेदारी की प्रथा में मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है तो निश्चित रूप से ...

श्री जनेश्वर मिश्रः ठेकेदारी प्रथा में नहीं। वह तो एक कन्सर्न है, निर्माण कंपनी है। वहां पर मजदूरी नहीं दी जाती है। वहां पर एक-डेढ़ साल से तनख्वाह ही नहीं दी गयी है। हमने पूछा है मैडम ...

उपसभापतिः नहीं, वाटर रिसोर्सेज में मतलब it is a very vague term. कौन-सा वाटर रिर्सोस है?

श्री जनेश्वर मिश्रः एन.पी.सी.सी. यह राष्ट्रीय कुछ ऐसा करके है।

डा. सत्यनारायण जटियाः माननीय सदस्य यदि जानकारी चाहेंगे तो हम उसको उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्रः डेढ़ साल से तनख्वाह ही नहीं दी गयी है।

डा. सत्यनारायण जटियाः निश्चित रूप से किसी भी माननीय सदस्य को इसके बारे में कोई शिकायत है या कोई इस प्रकार की बात समझ में आती है ...

श्री जनेश्वर मिश्रः यह एक जगह नहीं है, यह देश भर में है।

उपसभापतिः पब्लिक सेक्टर के बहुत से आर्गेनाइजेशंस में भी है।

डा. सत्यनारायण जटियाः हम एक कानूनी प्रावधान से बंधे हुए हैं और कुछ बातें जानकारी में आने पर उनको पूरा करने की दृष्टि से हम उनको पूरा करने का काम कर सकते हैं। जहां तक डीयरनेस एलाउंस का मामला है। डीयरनेस एलाउंस के लिए एक पद्धति तय की हुई है। उस पद्धति के आधार पर वैरिएबुल डीयरनेस एलाउंस देने की पद्धति है। अपने यहां पर जो मूल्य सूचकांक होता है, प्राइस इंडेक्स होता है उस आधार पर उसको तय करने का काम होता है। प्रति 50 प्वाइंट मूल्य सूचकांक में बढ़ने पर उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़कर उनको देने का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार से महंगाई भत्ता भी साथ में मिलाकर दैनिक वेतन के साथ देने के लिए नियम बना हुआ है।

श्री सुरेश पचौरीः महोदया, आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली में ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां कि लेबर लॉज का पालन नहीं हो पा रहा है और कितने मजदूर इस कारण प्रभावित हो रहे हैं? कितनी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां उन में काम करने वाले मजदूरों को निर्धारित मजदूरी पर दस्तखत तो कराए जाते हैं, लेकिन वह मजदूरी नहीं दी जाती है? कितनी फैक्ट्रीज में निर्धारित काम के घंटों से ज्यादा काम कराया जाता है, लेकिन वेजेज एक्ट के तहत भुगतान नहीं किया जाता? इस बारे में आप को कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई है? साथ ही आज ही के समाचार-पत्र में छपा है कि मेट्रो रेलवे में भी मजदूरों को निर्धारित मजदूरी नहीं दी जा रही है। क्या इस दिशा में मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ताकि मेट्रो रेलवे के मजदूरों को निर्धारित मजदूरी मिल सके?

डा० सत्यनारायण जटिया: महोदया, ज्यादा काम कराने के किए कानून में इजाजत नहीं है। महोदया, नियम के अंतर्गत 9 घंटे काम का समय है, उस से ज्यादा काम कराने की अनुमति नहीं दी जाती है। उस से ज्यादा मजदूर काम करता है तो ओवरटाइम का प्रबंध है जो कि सामान्य दरों को दोगुना कर के दिया जाना चाहिए। महोदया, प्रतिदिन 9 घंटे और सप्ताह भर में 48 घंटे होते हैं और एक दिन का अवकाश भी आवश्यक है। महोदया, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न मेट्रो रेल ....

श्री सुरेश पचौरी: मैंने यह जानना चाहा था कि दिल्ली में ऐसी कितनी फैक्ट्रीज हैं जहां कि लेबर लॉज का पालन नहीं हो रहा है, जहां ओवरटाइम पर काम कराया जा रहा है और जहां निर्धारित मजदूरी नहीं दी जा रही है, क्या यह संख्या आप के पास है? अगर है, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

डा० सत्यनारायण जटिया: महोदया, इसी के लिए निश्चित रूप से निरीक्षण की प्रणाली है जिस के अंतर्गत निरीक्षण हुआ है। वर्ष 1998 में 6139 निरीक्षण किए गए और अक्टूबर 1999 तक 5542 निरीक्षण हुए। इस के अंतर्गत कम वेतन का भुगतान, कामगारों को मिलने वाला लाभ और दायर किए गए दावों की संख्या की जानकारी इस प्रकार है: निरीक्षण के बाद दायर दावों की संख्या वर्ष 1998 में 112 है, वर्ष 1999 में 606 है। इन में अभियोजन के पश्चात् निर्णीत दावों की संख्या वर्ष 1998 में 275 है और वर्ष 1999 में 354 का निर्णय हुआ। इसका मतलब यह है कि निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से पाई गईं कमियों और चूक को ध्यान में लाकर कार्यवाही की जाती है। मेट्रो रेलवे के बारे में छपी खबर को, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैंने भी पढ़ा है और अधिकारियों से कहा है कि वह इस संबंध में जाच कर के बताएं।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभापति महोदया, मेरा बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है कि ऐसे कितने केसेज हैं जिन में अवहेलनाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही हुई और मजदूरों को रिलीफ मिली है?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have the names of 50 Members before me. Now, I will go according to time, who comes first.

डा० सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्य का प्रश्न चूंकि महानगरों तक सीमित था ...

उपसभापति: उन्होंने यह पूछा है कि आपने जो निरीक्षण कराए हैं, वह तो ठीक है, पर कितने केसेज में आप ने ऐक्शन लिया है? उन में किसी को सजा मिली है कि नहीं, यह जानकारी वह चाहते हैं or they went scot-free.

डा० सत्यनारायण जटिया: निश्चित रूप से यह जानकारी हमारे पास है। दिल्ली में दायर कुल केसेज की संख्या 6139 है जिन में से 359 में अभियोजन हुआ और वर्ष 1998 में निर्णीत अभियोजनों की संख्या 275 है। वर्ष 1999 में 715 केसेज में अभियोजन हुआ और उस में दिल्ली के 354 फैसले निर्णीत हुए हैं। इस तरह सारे महानगरों के आंकड़े मेरे पास हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें ....

श्री संघ प्रिय गौतम: उपसभापति जी, न मेरे क्वेश्चन का जवाब आया और न आप की डायरेक्शन से ही कुछ जवाब आया। मैंने यह पूछा है कि कितने लोगों को सजा मिली और कितने मजदूरों को रिलीफ मिली।

डा० सत्यनारायण जटिया: जो रिलीफ मिली है, वही तो सजा है।

श्री संघ प्रिय गौतम: वह बताइए।

उपसभापति: जो आप के पास आंकड़े हैं, वह उन्हें डायरेक्ट मत दीजिए, वह सदन के पटल पर रख दीजिए।

SHRI E. BALANANDAN: Madam, my quesiton is about the implementation of labour laws. I would like to know whether the Government, instead of implementing the labour laws, is trying to change the existing labour laws, and also provide for the right of hire and fire to the employers by removing all the legal hurdles existing today, as part of the policy of liberalisation.

डा० सत्य नारायण जटिया: उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने एक बड़ा प्रश्न पूछा है कि लिबरलाइजेशन की पालिसी के कारण हायर और फायर जो होने वाला है उसके बारे में क्या अभिमत है? निश्चित रूप से लिबरलाइजेशन, जो उदारीकरण की नीति है, इसको देश ने स्वीकार किया है। जहां तक मजदूरों का मामला है, मजदूरों के मामले में जो कानून में प्रावधान हैं, उसमें किसी भी प्रकार से मजदूर के हित में कोई ऐसा काम नहीं होगा, जिसमें कि मजदूर का अहित हो सके। हायर और फायर के बारे में अभी तक कानून में कोई इस प्रकार के प्रावधान नहीं है, लेकिन हर तरह से मजदूर के हित की रक्षा करने का काम श्रम मंत्रालय का दायित्व है और इसको हम करेंगे।

श्री वेद प्रकाश गोयल: उपसभापति जी, महानगरों तक यह सीमित सवाल है और इंडस्ट्रीज में मुम्बई का अपना एक स्थान है।

उपसभापति: मुम्बई, बम्बई नहीं।

श्री वेद प्रकाश गोयल : मैडम, मुम्बई मैंने कहा। स्वयं राम नाईक जी यहां बैठे हैं, उनके सामने तो कहना भी कठिन होगा।

उपसभापति: स्वयं मैं भी इधर बैठी हूं।

श्री वेद प्रकाश गोयल: मुम्बई में जो कोई इंडस्ट्री हैं, उनमें मिनिमम वेजेज, ओवरटाइम, सबका प्रावधान है, सबका इंस्पेक्शन है, सबका इंपलीमेंटेशन होता है, उसमें यह भी नहीं रहता कि कौन कितना काम करता है, बिना इसको मेजर किए पूरी पगार वगैरह उनको मिलती है। लेकिन, उनसे कई गुना अधिक, हजारों ऐसे छोटे-मोटे कारखाने हैं, जहां मालिक भी काम करता

है, उसके बच्चे भी काम करते हैं, वहां भी फेक्टरी एक्ट लगता है, उसे लेबर वेजेज देते नहीं, दे सकते नहीं, अनएंपलायमेंट इतना ज्यादा है कि आदमी किसी भी पगार पर काम करने को तैयार है। वहां उनसे गलत लिखवाया जाता है और अगर वह छोड़ के जाए तो नौकरी लेने के लिए लाइन से दस लोग बहार खड़े हैं। तो यह जो अनआर्गेनाइज्ड लेबर है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है और आगे क्या करने का विचार है? उनकी प्रोटेक्शन हो नहीं सकती, ज्यादा प्रोटेक्शन करें तो उनकी नौकरी जाती है। इसका आप क्या हल निकाल रहे हैं।

डा० सत्यनारायण जटिया: मैडम, निश्चित तौर पर अनआर्गेनाइज्ड लेबर की संख्या काफी बड़ी है। देश भर में साढ़े 32 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, चाहे वह खेतों में काम करते हों, चाहे कारखानों में काम करते हों, चाहे अनियमितत रूप से कहीं काम करते हों, जिनको हम दिहाड़ी मजदूर कह सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी संख्या है और इस सारी बात पर सर्वांगीण विचार करने की दृष्टि से सरकार ने तय किया हुआ है। इसके लिए हमने अभी सेकेंड लेबर कमीशन, द्वितीय श्रम आयोग बनाया है, जिसमें इन अनआर्गेनाइज्ड लेबर के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए उपाय किए जा सकें और उनको संरक्षण देने के लिए एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, समग्र विधान की रचना किस प्रकार से हो, इस पर लेबर कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है।

श्री जलालुदीन अंसारी: उपसभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना यह चाहता हूं कि क्या यह चार महानगरों में भी कानून लागू नहीं है? जैसा आपने अभी मद्रास के बारे में बताया कि 23/ रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलती है, तो यह 23/- रुपए किस कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी है, जिसकी चर्चा उन्होंने की, इससे स्पष्ट है कि न्यूनतम मजदूरी मेट्रोपोलिटिन सिटीज में भी लागू नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा है कि इसके लिए कारखाना निरीक्षक मौजूद हैं। कारखाना निरीक्षक तो कारखाने के मालिक के कहने पर काम करते हैं और इसका सबूत है कि वहां कोई रजिस्टर मेंटेन न करके, रजिस्टर पर पेमेण्ट न करके वाऊचर पेमेंट किया जाता है। यह बात मंत्री जी को भी मालूम है। तो वाऊचर पेमेंट करने का ही यह अर्थ है कि कम मजदूरी दी जा रही है, कोई रिकार्ड मेण्टेन नहीं किया जा रहा। इस तरह से इन मजदूरों के साथ अन्याय होता है। तो उनको न्यूनतम मजदूरी दिलाने और कारखाने के कानून के तहत उनको सुविधाएं दिलाने और उनकी सुरक्षा के संबंध में सरकार और आपका श्रम मंत्रालय कौन से कदम उठाने जा रहा है? यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

डा० सत्यनारायण जटिया: उपसभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि ऐसा कौन सा उद्योग है कि जिसमें 22.40 रु० का न्यूनतम वेतन मिल रहा है, तो जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोगों को यह न्यूनतम वेतन मिलता है। अब वे कितने घंटे काम के लिए यह वेतन देते होंगे, कितने काम के लिए देते होंगे, इसके लिए एक इंक्वायरी कमशीन बन गया है, किन्तु इसके लिए

जो कम्पिटेंट गवनेमेंट है, वह तमिलनाडु सरकार है और आपने कहा कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी में भी ऐसा होगा कि कम वेतन उनको मिलता होगा, परन्तु कानूनी कारवाई करने के लिए कुछ आधार होना चाहिए और यदि आपको इस बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी है या कुछ और ...(व्यवधान)....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: You treat it as a violation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt.

DR. SATYA NARAYAN JATIYA: The State Government is the competent Government which will take action.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please don't interrupt in between. The Member has already put the question. It is his right to get a reply. जिन्होंने सवाल पूछा है, आप उनको जवाब दीजिए। No interruption should be there in the Question Hour.

डा० सत्यनारायण जटिया: चमड़ा उद्योग में इस प्रकार का वेतन दिया जा रहा है और यह मेरी जानकारी में आया है क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट का स्फेअर है, यह ऐम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आता है, जैसा मैंने बताया कि 1152 ऐम्प्लॉयमेंट ऐसे हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं और उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को यह तय करना है। आपने जो स्पेसिफिक जानकारी मांगी है, उसको मैं प्रदेश सरकार से प्राप्त करके आपको दे दूंगा।

श्री जलालुदीन अंसारी: मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा आपने कहा है कि न्यूनतम मज़दूरी 22.40 रु० हो ही नहीं सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अगर देती है तो कृपा करके आप हमको और सदन को यह बताएं।

उपसभापति: महिलाओं को भी वेतन बराबर मिल रहा है या नहीं?

SHRIMATI SHABANA AZMI: Madam, through you, I ask of the hon. Minister whether India is a signatory to the ILO convention which guarantees some minimum wages for people working outside the factory situation, who are mostly women. If so, what steps is the Government taking in this regard?

Thank you.

डा० सत्यनारायण जटिया: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पिछले अधिवेशन में इक्वेल रिम्यूनरेशन टू दि वूमन, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई थी, इसका एक समय भी तय किया हुआ है और इस दृष्टि से सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।

उपसभापतिः 1975 में अंतर्राष्ट्रीय वूमन ईयर के समय यह बात तय हुई थी और हमारी गवर्नमेंट ने इस पर कमिट किया था कि equal wages for equal work. Has it been implemented because my Committee, the Empowerment Committee, is also concerned with it.

डा॰ सत्यनारायण जटियाः यह तो कानूनी प्रावधान है कि इक्वेल .....

उपसभापतिः अमल हो रहा है या नहीं? कानून तो बहुत हैं, यहां हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं। आप हमारे लेबर मिनिस्टर है आप बताइए कि इस चीज़ पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा?

डा॰ सत्यनारायण जटियाः जहां तक मेरी जानकारी में है, इसे अमल में लाया जा रहा है यदि इसके बारे में कोई शिकायत है ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सरला (माहेश्वरी): कितनी ही कोयला खदानों में लगातार इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है।

उपसभापतिः बीजिंग प्लस फाइव की अगेन बीजिंग में कांफ्रेंस हुई और उसमें भी इस रेज़ोल्यूशन में Hindustan is a signatory to that. India was the mover. It is now five years since Beijing. So, Beijing plus five is going to take place. There will be a review of it in the UN. Are we ready to face them?

डा॰ सत्य नारायण जटियाः इक्वेल रिम्यूनरेशन के बारे में तो हमारी मान्यता बहुत स्पष्ट है और आपने 1975 की बात की, इक्वेल रिम्यूनरेशन ऐक्ट 1976 से लागू कर दिया गया है और लिंग के आधार पर, किसी भी महिला-पुरुष में अंतर करने का कोई कारण नहीं है। ....(**व्यवधान**).....

श्रीमती सरला माहेश्वरीः मैंने कहा न कि इसका उल्लंघन हो रहा है, मैं आपको डाटा दे सकती हूं।

डा॰ सत्यनारायण जटियाः आप दीजिए।

उपसभापतिः आप पूरा डाटा मंत्री जी को दीजिए और मंत्री जी उसका ब्यौरा अगले सैशन में सदन के पटल पर रखेंगे।

SHRI BRATIN SENGUPTA: Madam. will, the Minister kindly tell ,us what action he is going to take to prevent the recurring incidents of child labour and the tremendous form of child exploitation in the form of child labour in different factories in our country?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have got a list of at least 25 Members who want to ask supplementaries to this question. I know it is a very serious question, and that is why everybody is asking supplementaries. I think there is a need to have a full-fledged discussion on our labour policy.

It is not possible to cover it during Question Hour. Unfortunately, the question is very limited to metropolitan cities only. But we have also got agricultural labour and unorganised labour. So, how can the hon. Minister answer about the entire thing? He can only answer your questions. I suggest that during the next session, we can have a full-fledged discussion. I cannot be discussed within a period of 25 minutes or even one hour. आप कमिट कर लीजिए कि आप डिस्कस करेंगे, तो मैं आगे बढ़ूं।

डा० सत्यनारायण जटिया: माननीय उपसभापति महोदया जी ने जो चिंता व्यक्त की है उस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए डिस्कसन हो इसके लिए मैं सहमत हूं और मुझे खुशी होगी कि हम इस बारे में पूरी तरह से पूरी-पूरी चर्चा करें। जहां तक चाइल्ड लेबर का प्रश्न है, निश्चित रूप से चाइल्ड लेबर का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ स्पेसिफिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जरुर मैं आपको दे सकता हूं। हमने चाइल्ड लेबर का प्रतिषेध किया हुआ है और हमने चाइल्ड लेबर के दायरे को धीरे-धीरे कम करने के लिए आकूपेशन और प्रोसेसर में उसको खतरनाक घोषित करके बंद करने का काम किया है। आज मोटे तौर पर हमारे पास जो आकूपेशन और प्रोसेसर हैं, वह 64 हैं। इन खतरनाक उद्योगों में बच्चों को नहीं लगाया जाना चाहिए और इस दृष्टि से कि कानून का पालन हो हमने बच्चों को काम पर नहीं लगाने के लिए कोशिश की है और इतना ही नहीं उनको रिहेबलिटेट करने के लिए भी हमारी योजनाएं काम कर रही हैं। अगर वह अलग से कोई प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: This year is the tenth year of the signing of the Rights of the Child. We have a lot of responsibility, nationally as well as internationally. Now, we take up the next question. Question No. 362.